247/08

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

614500

<u>विक्रय विलेख</u>

प्रतिफल की धनराशि - रू0 21,99,782/-
बाजारी मूल्य - रू0 6,71,800/-
अदा किये गये स्टाम्प शुल्क- रू0 2,20,000/-

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. परगना - [illegible]
3. ग्राम - [illegible]
4. सम्पत्ति का विवरण - भूमि खाता संख्या 1090 रकबा

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-2-

0.292 हेक्टेयर पूर्ण भाग स्थित ग्राम- [illegible], परगना तहसील व जिला लखनऊ।

5. गाटा का रकबा - हेक्टेयर

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल 0.292 हेक्टेयर

7. सड़क की स्थिति - सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक

8. सम्पत्ति का प्रकार - भूमि

25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

9.	पेड़ों की स्थिति	-	नहीं
10.	बोरिंग/ कुआं अन्य	-	कुछ भी नहीं है।

<u>चौहद्दी खसरा नं0 1090</u>

उत्तर	: खसरा नं0-1089
दक्षिण	: खसरा नं0-1092
पूरब	: खसरा नं0-1091
पश्चिम	: खसरा नं0-1093

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार ...534604

प्रथम पक्ष की संख्या- 1 : द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

विक्रेता का विवरण	क्रेता का विवरण
श्रीमती चम्पा पुत्री बक्शी निवासी ग्राम अहमामऊ परगना तहसील व जिला लखनऊ।	कल्लू पुत्र पूरन निवासी ग्राम मिर्जापुर बिहारी पो0 [illegible], तहसील व जिला फतेहपुर।
व्यवसाय- कृषि	व्यवसाय- कृषि

यह विक्रय विलेख श्रीमती चम्पा पुत्री बक्शी निवासी ग्राम अहमामऊ परगना तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है एवं कल्लू पुत्र पूरन निवासी ग्राम मिर्जापुर बिहारी पो0 गौराय, तहसील व

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-5-

जिला फतेहपुर जिनके आगे क्रेता [illegible] है के नाम निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खाता संख्या 1090 रकबा 0.292 हे0 का पूर्ण भाग स्थित ग्राम- [illegible], परगना तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, स्थापित व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित [illegible] खतौनी क्रम संख्या 00487 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है और विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है तथा विक्रेता को उक्त भूमि को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार

25000 INDIA NON JUDICIAL 25000

रुपये 25000

25000 पच्चीस हजार रुपये 25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T.R.Y.L.K.O.
कोषागार लखनऊ
03 JAN 2008
स. को. अ./कोषाधिकारी
कोषागार लखनऊ

प्राप्त है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरकारी भूमि का हिस्सा नहीं है तथा उक्त भूमि सीलिंग तथा पट्टे की भूमि नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं रहन, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु. INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 229563

ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वास्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का लगान, हक या हिस्सा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रु0 21,99,782/- के प्रतिफल में मिलकर उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता की इस

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु

INDIA NON JUDICIAL

Rs 20000 रु

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करती है, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को नगद्दई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0 180946

-9-

क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाने-तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Q 180944

इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

80945

[illegible] लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम आलमनगर अर्धनगरीय क्षेत्र के अतिविशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रु0 23,00,000/- प्रति हेक्टेअर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.292 हेक्टेअर की कुल मालियत 6,71,600/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषाधिकारी
लखनऊ

मालियत मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु० 3,20,000/- मालियत स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां नहीं चल रही है न कोई ट्यूबवेल, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी० के दायरे में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 180943

व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व [illegible] प्रवेश पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

लेख्य विवरण [illegible]

[illegible] मूल्य [illegible] [illegible]

[illegible] संख्या [illegible]

[illegible] की हस्ताक्षर [illegible]

[illegible] महावीर प्रसाद [illegible]

[illegible] व [illegible]-[illegible]

[illegible]

[illegible]

फीस रा

3,199,150.00	652,000.00	5,000.00	40	5,040.00	2,000
[illegible]	[illegible]	पंजीकरण फीस	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री / श्रीमती [illegible]

पुत्र / पत्नी श्री [illegible]

पेशा [illegible]

निवासी स्थायी [illegible]

अस्थायी पता

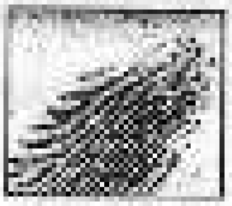

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 9/1/2008 समय 4:05PM

को निबंधन हेतु पेश किया।

[illegible]

उप निबंधक (द्वितीय)

लखनऊ

9/1/2008

निबंधन लेखपत्र [illegible]

विक्रेता

श्री/श्रीमती [illegible]

पुत्र/पत्नी श्री [illegible]

पेशा [illegible]

निवासी [illegible]

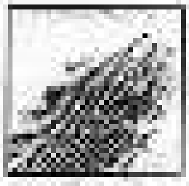

क्रेता

श्री/श्रीमती [illegible]

पुत्र/पत्नी श्री [illegible]

पेशा [illegible]

निवासी [illegible]

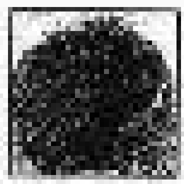

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री [illegible] कुमार

पुत्र श्री [illegible]

पेशा [illegible]

निवासी [illegible]

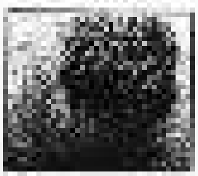

व श्री [illegible] कुमार [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा [illegible]

निवासी [illegible]

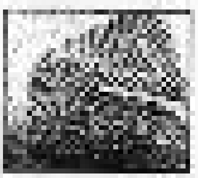

ने की।

[illegible]

एस. [illegible]

उप निबंधक (द्वितीय)

लखनऊ

9/1/2008

परिशिष्ट: भुगतान विवरण

1. विक्रेता को रु0 21,99,782/- द्वारा चेक संख्या- 609968 दिनांकित 09.01.2008 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य 21,99,782/- (रुपया इक्कीस लाख निन्यानबे हजार सात सौ बयासी मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं तथा अब कोई भी धनराशि विक्रेता को क्रेता से लेना शेष नहीं है।

लखनऊ

दिनांक : 09.01.2008

गवाह :-क्रेता की पहचान की

1.

विक्रेता

क्रेता

2. विक्रेता की पहचान की

टाईपकर्ता

मसविदाकर्ता

(मोनू कुमार)
सिविल कोर्ट लखनऊ

(विवेक कुमार सिंह)
एडवोकेट

[illegible]

Registration No 247 Year : 2008 Book No.

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

নকসা স্কেল ১০৪
গ্রাম আলমগঞ্জ তালিকা

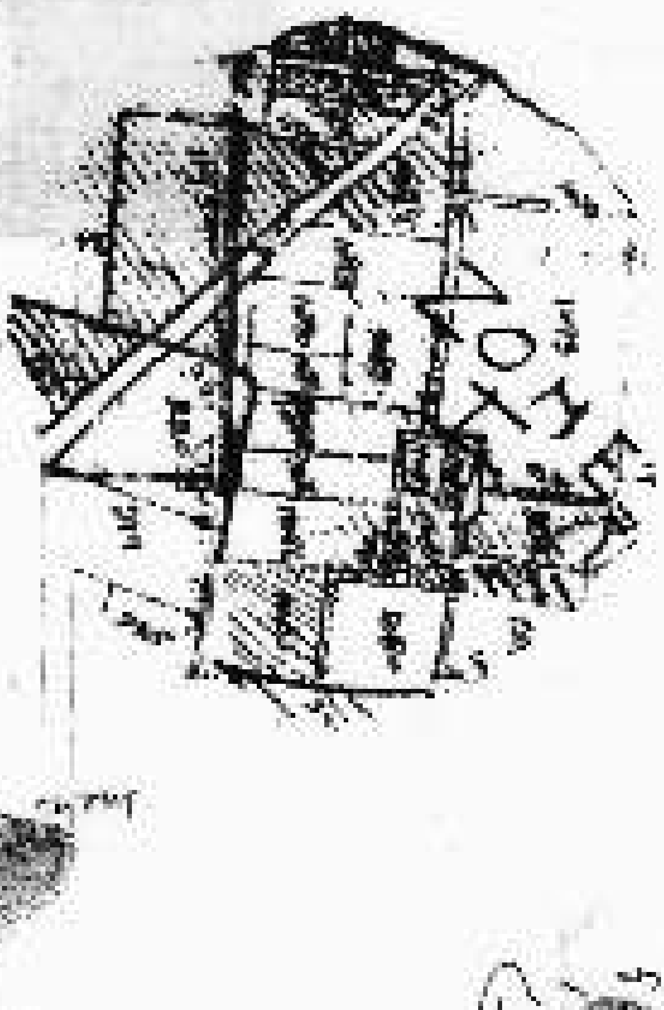

[redacted]

[illegible]

Registration No. 747 Year : 2008 Book No. I

0001 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

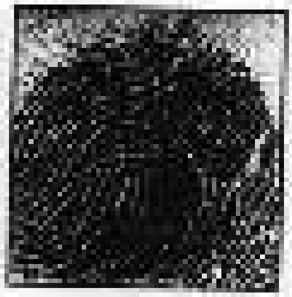

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिंट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता ....

....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता : ....

....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 09/01/2008 को

बही सं 1 जिल्द सं 7175

पृष्ठ सं 397 से 430 पर क्रमांक 247

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

एस.एस.पाल

उप निबंधक (द्वितीय)

लखनऊ

9/1/2008